

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा०पत्र संख्या
15/226/2022

रजि० नम्बर
2022/368

प्रवेश तिथि
23.08.2022

निर्णय दिनांक
14.11.2022

1. शेर सिंह पुत्र घडसी निवासी ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुलतान पुत्र घडसीराम जाति अहीर
2. सावित्री स्त्री सुलतान जाति अहीर निवासीयान ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर।
—असल अप्रार्थीगण
3. धर्मसिंह
4. रामेतार पुत्रान जीवाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर।
5. संता देवी पुत्री जीवाराम स्त्री झल्लर जाति अहीर
6. चमेली पुत्र जीवाराम स्त्री लालाराम जाति अहीर
7. सुनीता पुत्र जीवाराम स्त्री हंसराज जाति अहीर निवासीयान ग्राम इसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर।
8. सुनीता पत्नी वीर सिंह जाति अहीर
9. मंजू पुत्री वीर सिंह जाति अहीर
10. सोनू पुत्री वीर सिंह जाति अहीर
11. रामचन्द्र पुत्र ठण्डी जाति अहीर
12. ओमवती पत्नी महावीर जाति अहीर
13. दिनेश पुत्र महावीर जाति अहीर
14. संजीव कुमार पुत्र महावीर जाति अहीर
15. धौली पुत्री महावीर जाति अहीर
16. रजनी पुत्री महावीर जाति अहीर
17. रामेश्वरी पुत्री ठण्डी जाति अहीर
18. सम्पता पुत्री ठण्डी जाति अहीर
19. रामभूतेशी पुत्री ठण्डी जाति अहीर
20. अंगूरी पत्नी मोहर सिंह जाति अहीर
21. रमेश पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर
22. राधेश्याम पुत्र मोहर सिंह जाति अहीर
23. मनोहर पुत्र मुंशीराम जाति गुर्जर
24. रतिराम पुत्र रामदेव जाति गुर्जर
25. दुलीचन्द्र पुत्र रूपराम जाति अहीर
26. सूबे सिंह पुत्र रूपराम जाति अहीर
27. झगडू उर्फ वीर सिंह पुत्र रूपराम जाति अहीर
28. महेन्द्र पुत्र रूपराम जाति अहीर
29. ईश्वर पुत्र रूपराम जाति अहीर
30. सूरजा पुत्री रूपराम जाति अहीर
31. संतो पुत्री रूपराम जाति अहीर
32. रामरती पुत्री रूपराम जाति अहीर
33. लाली पुत्री रूपराम जाति अहीर
34. सुरता पुत्री रूपराम जाति अहीर
35. प्रेम पत्नी भूपसिंह जाति अहीर
36. भूप सिंह पुत्र भूप सिंह जाति अहीर
37. करण सिंह पुत्र भूप सिंह जाति अहीर
38. विक्रम सिंह पुत्र भूप सिंह जाति अहीर
39. हरीश पुत्र शीशराम जाति गुर्जर
40. रवि कुमार पुत्र शीशराम जाति गुर्जर
41. धर्मवती पत्नी शीशराम जाति गुर्जर
42. रामशरण पुत्र मनीराम जाति गुर्जर

जिला कलक्टर, अलवर

43. महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति गुर्जर
44. संतोष पत्नी शेरसिंह जाति गुर्जर
45. बने सिंह पुत्र राम सिंह जाति गुर्जर
46. रामस्वरूप पुत्र घडसी जाति गुर्जर
47. नवीन पुत्र रतीराम जाति गुर्जर
48. मिथलेश पुत्री शीशराम जाति गुर्जर
49. रिंगू पुत्री शीशराम जाति गुर्जर
50. नर सिंहा पुत्र मोहन जाति गुर्जर
51. साधू पुत्र राम सहाय जाति गुर्जर
52. सरती देवी पत्नी मोहनलाल जाति गुर्जर
53. अमित पुत्र राजवीर जाति अहीर
54. कालू पुत्र जयसिंह जाति अहीर
55. बिमला पत्नी जयसिंह जाति अहीर
56. मनीषा पुत्री राजीव कुमार जाति अहीर
57. रतन पुत्र अगली पुत्री रामसिंह जाति अहीर
58. सोमवती पुत्री रामसिंह जाति अहीर
59. सतपाल पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवासीयान ग्राम टीहली तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
60. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज0।
61. शाखा प्रबंधक, बीआरकेजीबी, शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर।
62. शाखा प्रबंधक, आरजीबी, शाखा भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला अलवर।
63. शाखा प्रबंधक, पीएनबी, शाखा शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर।
64. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर राज0।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपरिस्थित:—

01. श्री मनीष कुमावत

—वकील प्रार्थी

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुलतान बनाम धर्म सिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विचाराधीन वाद में दि0 18.07.2022 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी थी तथा तहसीलदार से कुर्रजात रिपोर्ट तलब कर आगामी पेशी दिनांक 28.07.2022 नियत की गयी। कुर्र रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आगामी पेशी 02.08.2022 नियत की गयी। दिनांक 02.08.2022 को प्रतिवादी सं0 33, 35, 36, 44 द्वारा पूर्व में पारित आदेश को दुरुस्त कराने हेतु प्रा0पत्र पेश किया था। उक्त प्रा0पत्र का जवाब वादीगण द्वारा उसी दिन पेश कर दिया तथा पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08.08.2022 में नियत की गयी। दिनांक 08.08.2022 को अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य स्थगित होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 23.08.2022 नियत की गयी। तहसीलदार द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट पेश की गयी। तहसीलदार ने कुर्रजात रिपोर्ट मौके व बटवारे के संबंध में बनाये नियमों के विरुद्ध तैयार की गयी है। प्रार्थी के वकील द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट की नकल लेने हेतु आवेदन किया। किन्तु संबंधित लिपिक द्वारा बताया गया कि कुर्रजात रिपोर्ट को पीठासीन अधिकारी ने स्वयं के पास रख रखी है। इसलिए नकल दिया जाना संभव नहीं है। पीठासीन अधिकारी से नकल हेतु निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि कुर्रजात रिपोर्ट सही तैयार की है। साथ ही यह भी कहा कि रिपोर्ट आपके पक्षकार के सामने तैयार हुई है। इसलिए इसकी नकल लेने का कोई औचित्य नहीं है तथा पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहा कि कुर्रजात रिपोर्ट की नकल लेने के बाद अनावश्यक रूप

जिला प्रशासक, अलवर


से ऐतराज पेश किये जावेंगे। इसलिए कुर्रेजात रिपोर्ट की नकल दिलाया जाना उचित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय पारित करूंगा। पीठासीन अधिकारी कुर्रेजात रिपोर्ट की नकल नहीं देते हुए पत्रावली का निर्णय करने पर उतारू है। इसी मंशा से पत्रावली में नजदीक की पेशीयां दी जा रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी अनुपरिथत है।

हमने पत्रावली एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ-पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना-पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)